संख्या–क0नि0–7–72/ग्यारह–2006–500(65)/1991

प्रेषक,

अतुल चतुर्वेदी,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अपर सचिव, राजस्व परिषद,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

कर एवं निबन्धन अनुभाग–5 लखनऊः दिनांकः 16 जनवरी, 2006

विषयः आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अधीन उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, समस्त विकास प्राधिकरण आदि तथा नगर विकास विभाग के अधीन स्थानीय निकायों के क्षेत्रान्तर्गत अवस्थित अचल सम्पत्ति के अन्तरण पर विभिन्न अधिनियमों के अन्तर्गत दो प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी की धनराशि को सम्बन्धित निकाय/संस्थाओं को वापस किये जाने विषयक वर्तमान प्रक्रिया को विकेन्द्रित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि अचल सम्पत्तियों के अन्तरण विलेखों में अंकित प्रतिफल/बाजार मूल्य पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क की धनराशि के अलावा दो प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क लिये जाने की व्यवस्था उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 172 (1) (जी) तथा धारा 191, उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 128(1) की उपधारा (13–ख) तथा धारा 128–क, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965 की धारा–62(2), उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा–39, उत्तर प्रदेश स्पेशल एरिया डेवलपमेन्ट अथारिटी एक्ट, 1986 की धारा–34 आदि में अधिनियमित की गयी है। शासन के पत्र संख्या एस0आर0 3529/दस–500 (194)/77 दिनांक 4 फरवरी, 1983 द्वारा उपर्युक्तानुसार संग्रहीत धनराशि में से चार प्रतिशत अनुषांगिक व्यय तथा चार प्रतिशत कलेक्शन व्यय काटकर सम्बन्धित निकायों/संस्थाओं को वितरित किये जाने की व्यवस्था है। शासनादेश संख्या क0नि0 5–1949/11–2000 दिनांक 9.6.2000 में उक्त धनराशि के भुगतान से पूर्व कतिपय देयकों के समायोजन की व्यवस्था की गई है। नगर विकास अनुभाग–9 के शासनादेश संख्या 3415/नौ–9–16(2)/93 दिनांक 13.9.1993, आवास अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या 2365/37–2–1993 दिनांक 13.9.1993, आवास अनुभाग–5 की अधिसूचना संख्या 117/ 9–आ– 5–95–16(2)/93 टी0सी0 दिनांक 11.8.1995, आवास अनुभाग–1 की अधिसूचना संख्या 4811/9–आ–7–96–16(2)/93 टी0सी0 दिनांक 11.3.93, आवास अनुभाग–1 की अधिसूचना संख्या यू0ओ0 140/9–आ–5–95–16 (2)/96टी0सी0 दिनांक 11.3.96 द्वारा उक्त संग्रहीत धनराशि के वितरण की व्यवस्था निश्चित की गई है।

2. उक्त धनराशि के वितरण की वर्तमान प्रक्रिया निम्नवत है :–

(क) प्रत्येक निकाय के क्षेत्र में उगाही गई दो प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क का त्रैमासिक विवरण सम्बन्धित निकाय को उप निबन्धक से तैयार कराकर जिला निबन्धक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कराकर उपलब्ध कराया जाता है।

(ख) उक्त दो प्रतिश्ता अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क के विवरण के आधार पर उक्त शासनादेशानुसार सम्बन्धित निकाय/संस्था द्वारा अपना त्रैमासिक देयक तैयार किया जाता है।

(ग) विकास प्राधिकरण, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण एवं उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद द्वारा तैयार देयक सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग को तथा नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत, द्वारा अपना देयक निदेशक स्थानीय निकाय को प्रस्तुत करके प्रतिहस्ताक्षरित कराते हैं।

(घ) उपरोक्तानुसार तैयार देयकों को सम्बन्धित निकाय/संस्था भुगतान हेतु अन्य आवश्यक प्रमाणपत्रों के साथ, अपर सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को प्रस्तुत करते हैं। (अन्य आवश्यक प्रमाणपत्रों में

;पद्ध कौन सा निकाय/संस्था सम्बन्धित क्षेत्र में कार्यरत है।

;पपद्ध निकाय/संस्था द्वारा ऋण, ब्याज आदि की देयता का प्रतिहस्ताक्षरित प्रमाणपत्र,

;पपपद्ध ऋण आदि के समायोजनार्थ तीन प्रतियों में लेखाशीर्षक अंकित कर हस्ताक्षरित चालान, आदि सम्मिलित है),

(ङ) अपर सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा देयकों का परीक्षण कर भुगतान की कार्यवाही की जाती है।

3. सम्बन्धित निकायों/संस्थाओं को उक्त धनराशि की वापसी में होने वाली कठिनाई/विलम्ब को रोकने तथा भुगतान की वर्तमान केन्द्रीकृत व्यवस्था के स्थान पर जिला स्तर से ही भुगतान की विकेन्द्रित व्यवस्था को निम्नवत लागू किया जाता है :–

;पद्ध पूर्वोक्त प्रस्तर–2 के उप प्रस्तर (क), (ख) एवं (ग) में उल्लिखित व्यवस्था यथावत रहेगी,

;पपद्ध उपर्युक्त औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए तैयार देयकों को सम्बन्धित निकाय/संस्था द्वारा प्रस्तर–2(घ) में वर्णित आवश्यक प्रमाणपत्रों सहित सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी को भुगतान हेतु प्रस्तुत किया जायेगा जिसे उप/सहायक आयुक्त स्टाम्प को परीक्षण हेतु प्रेषित किया जायेगा।

;पपपद्ध उप/सहायक स्टाम्प आयुक्त द्वारा देयकों का परीक्षण कर उचित पाने पर चार प्रतिशत अनुषांगिक व्यय तथा चार प्रतिशत संग्रह व्यय काटकर भुगतान हेतु संस्तुति सहित जिलाधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। तदुपरान्त जिलाधिकारी द्वारा उक्त देयकों का भुगतान स्वीकृत किया जायेगा। जनपद में नियुक्त उप/सहायक स्टाम्प आयुक्त के कार्यालय द्वारा सम्बन्धित निकाय/संस्थाओं को डिमान्ड ड्राफ्ट/बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से देय धनराशि का भुगतान सुनिश्चि करते हुए, भुगतान का पूर्ण विवरण अपर सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को उपलब्ध कराया जायेगा।

उक्त नयी व्यवस्था दिनांक 1.10.2005 से प्रारम्भ हुए त्रैमास से प्रभावी की जाती है। दोहरे भुगतान की सम्भावना न रहे, इसलिए दिनांक 110.2005 से पूर्व के देयकों का भुगतान अपर सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के कार्यालय से नान–पेमेन्ट प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जायेगा। वर्तमान में अपर सचिव, राजस्व परिषद कार्यालय में लम्बित बिलों को सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी को नान–पेमेन्ट प्रमाणपत्र के साथ भुगतान हेतु तत्काल उपलब्ध करा दिया जाये।

4. नगर विकास विभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा समय समय पर निर्गत शासनादेशों में अंकित विभिन्न निकाय/संस्था के अंश यथावत रहेंगे। एतद्द्वारा प्रभावी व्यवस्था/प्रक्रिया परिवर्तन को वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

5. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या–ए–2–06/दस–06 दिनांक 16.1.06 में प्रदान की गई सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,
ह0अस्पष्ट
(अतुल चतुर्वेदी)
प्रमुख सचिव।

संख्या–क0नि0–5–72(1)/ग्यारह–2006–500(65)/1991–तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त शासनादेश की प्रति समस्त उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण तथा आवास आयुक्त, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, 104 महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त शासनादेश की प्रति निदेशक, स्थानीय निकाय, इन्दिरा भवन, लखनऊ को इस निर्देश के साथ उपलब्ध कराने का कष्ट करें कि वे अपने स्तर से समस्त स्थानीय निकायों को इस शासनादेश की प्रति उपलब्ध करायें।
3. आयुक्त स्टाम्प, उ0प्र0 शिविर कार्यालय, लखनऊ को इस अपेक्षा के साथ प्रेषित कि कृपया इस पत्र तथा शासनादेश संख्या एस0आर0 3529/दस–500 (194)/77 दिनांक 4 फरवरी, 1983 एवं शासनादेश संख्या क0नि0 5–1949/11–2000 दिनांक 9.6.2000 की प्रति समस्त अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)/जिला निबन्धक तथा समस्त उप/सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तर प्रदेश को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
4. निदेशक कोषागार, उत्तर प्रदेश, 1018 जवाहर भवन, लखनऊ।
5. समस्त मंडलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग–9/वित्त (लेखा) अनुभाग–2, उत्तर प्रदेश शासन।
8. गार्ड फाइल, कर एवं निबन्धन अनुभाग–5, उत्तर प्रदेश शासन।

आज्ञा से,
ह0अस्पष्ट
(शिशिर कुमार यादव)
उप सचिव।

संख्याः एस.आर. 3529/दस–83–500(194)/77

प्रेषक,

डा0 बी0एन0 तिवारी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अपर सचिव,
राजस्व परिषद, इलाहाबाद।

वित्त (स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन) अनुभाग लखनऊ दिनांक फरवरी 4, 1983

विषयः उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् तथा प्रदेश के विकास प्राधिकरणों को अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासकीय आदेश संख्या यू.एस.आर.–5445/दस–निवास–2–34–एच.बी./75 दिनांक 17–11–77 के क्रम में मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1978 की धारा–39 की उपधारा–2 के अधीन अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण विलेखों पर 2 प्रतिशत की दर से आरोपित अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी के रूप में संग्रहीत धनराशि में से 4 प्रतिशत आनुषांगिक व्यय तथा 4 प्रतिशत उगाही व्यय करने के उपरान्त गाजियाबाद प्राधिकरण को सम्पूर्ण धनराशि तथा उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् तथा अन्य सम्बन्धित विकास क्षेत्र के विकास प्राधिकरणों को 50–50 अनुपात में आवंटित व वितरित किया जाता है। उक्त धनराशि को विकास प्राधिकरणों तथा आवास एवं विकास परिषद् की वापसी की वर्तमान प्रक्रिया को समाप्त करके नीचे प्रस्तर–2 में उल्लिखित प्रक्रिया तुरन्त प्रभाव से अपनायी जाये।

2. पूर्व की भॉति ही जिला निबन्धक द्वारा अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क से सम्बन्धित त्रैमासिक विवरण पत्र तीन प्रतियों में उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् तथा प्रदेश के सम्बन्धित विभिन्न विकास प्राधिकरणों को उपलब्ध कराये

जायें। आवास एवं विकास परिषद् तथा सम्बन्धित विकास प्राधिकरण उक्त विवरण पत्र की 2 प्रतियॉ संलग्न करते हुए राजस्व परिषद के अपर सचिव को भुगतान हेतु अपना देयक प्रस्तुत करेंगे। अपर सचिव, राजस्व परिषद् वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–4 के भाग–1–क के आकस्मिक बिल प्रपत्र–17 पर बिल बनाकर कोषागार से उपर्युक्त धनराशि को बैंक ड्राफ्ट बनवाकर आवास एवं विकास परिषद् तथा सम्बन्धित विकास प्राधिकरणों को जैसी भी स्थिति हो प्रेषित करेंगे।

3. यह भी निवेदन है कि उपर्युक्त प्रक्रिया निर्धारित करने की राज्यपाल उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद् स्टाम्प शुल्क की धनराशि स्थानीय कोषागार से आहरित करके उसका भुगतान बैंक ड्राफ्ट द्वारा आवास एवं विकास परिषद् तथा सम्बन्धित विकास प्राधिकरणों को किये जाने हेतु प्राधिकृत करते हैं। इन बिलों का भुगतान करने से पूर्व अपर सचिव, राजस्व परिषद्, उ0प्र0 इलाहाबाद यह सुनिश्चित करें कि आवास एवं विकास परिषद् तथा प्राधिकरणों द्वारा प्रस्तुत दावों का इससे पूर्व भुगतान नहीं किया गया है।

4. यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से जो उनके अर्धशासकीय पत्र संख्या एफ–ए–1–103/दस–83 दिनांक 20–1–1983 में प्राप्त हुआ, जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
हस्ताक्षर अस्पष्ट,
(बी0एन0 तिवारी)
उप सचिव।

संख्याः एस0आर0–3529(1)/दस–500(194)/77 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषितः–

1. निदेशक, कोषागार उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।
2. आवास अनुभाग–2/वित्त (लेखा) अनुभाग–1।
3. समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. आवास आयुक्त, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् लखनऊ।
5. समस्त विकास प्राधिकरणों के उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
हस्ताक्षर अस्पष्ट
(बी0एन0 तिवारी)
उप सचिव।